

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 219/2019

दायर दिनांक :- 07.10.2019

अनवान

श्री रुद्रप्रताप पिता दिनेश कुमार ब्राहमण नि. अमरवासी तह० जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री राजेन्द्र पिता मोहन सुवालका नि. अमरवासी तह० जहाजपुर
2. श्री लादुलाल पिता मांगीलाल सुवालका नि. अमरवासी तह० जहाजपुर
3. श्री महावीर पिता भूरा सुवालका नि. अमरवासी तह० जहाजपुर
4. श्री रामेश्वर पिता मोहनलाल शर्मा सुवालका नि. अमरवासी तह० जहाजपुर
5. श्री सोजी पिता रामचन्द्र गुर्जर नि. अमरवासी तह० जहाजपुर
6. श्री जवान पिता मागुता गुर्जर नि. अमरवासी तह० जहाजपुर
7. श्री नन्दसिंह पिता बंजरंग सिंह राजपूत नि. अमरवासी तह० जहाजपुर
8. श्री रामसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत नि. अमरवासी तह० जहाजपुर
9. श्री ब्रजगोपाल पिता देवीलाल पारीक नि. अमरवासी तह० जहाजपुर
10. श्री कन्हैयालाल पिता लक्ष्मीनारायण सेन नि. अमरवासी तह० जहाजपुर
11. श्री सुनील पिता ओमप्रकाश सेन नि. अमरवासी तह० जहाजपुर
12. श्री लक्ष्मीलाल पिता किशनलाल सुवालका नि. अमरवासी तह० जहाजपुर
13. तहसीलदार जहाजपुर तह० जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 09.12.2019

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम अमरवासी प० ह० अमरवासी तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 431, 432, 1674, 1675, 1691, 1692, 1693, 1694, 1702, 1703, कुल किता 10 रकबा 27.18 बीघा भूमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की तार्ईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम अमरवासी प० ह० अमरवासी तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 431 रकबा 06.15 बीघा, 432 रकबा 05.18 बीघा, 1674 रकबा 02.00 बीघा, 1675 रकबा 01.19 बीघा, 1691 रकबा 0.18 बीघा, 1692 रकबा 01.11 बीघा, 1693 रकबा 01.10 बीघा, 1694 रकबा 0.03 बीघा, 1702 रकबा 03.18 बीघा, 1703 रकबा 03.06 बीघा, कुल किता 10 रकबा 27.18 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु मु अभिलेख निरीक्षक अमरवासी का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

